वित्त विभाग से
अनौपचारिक रूप से
अनुमोदित

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक 5-7-16

विषयः–बिहार राज्य के माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः ₹ 14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹ 12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह स्वीकृति के संबंध में।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) संख्या–521, 523, 524/2002 के अन्तगर्त दिनांक 31.03.2014 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु स्वीकृत राशि क्रमशः ₹ 14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹ 12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह की स्वीकति का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7413 दिनांक 23.11.2015 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) संख्या–521, 523, 524/2002 में दिनांक 31.03.2014 को पारित आदेश से उत्पन्न अवमाननावाद (सिविल) संख्या–425–426/2015 के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को स्वीकृत उपर्युक्त घरेलू सहायता भत्ता में संशोधन हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 06.10.2015 को मध्याह्न 12.00 बजे प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के साथ एक बैठक आहूत की गयी। आहूत बैठक में सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को पूर्व से स्वीकृत घरेलू सहायता भत्ता में संशोधन किये जाने के बिन्दु पर सैद्धांतिक सहमति बनी।

3. उक्त सैद्धांतिक सहमति तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) संख्या–521, 523, 524/2002 के अन्तगर्त दिनांक 31.03.2014 को पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को विभिन्न दरों पर स्वीकृत बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा प्रहरी तथा संविदा के आधार पर अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च हेतु प्रतिमाह स्वीकृत राशि क्रमशः ₹ 14,000/– (चौदह हजार) एवं ₹ 12,000/– (बारह हजार) प्रतिमाह तथा दूरभाष भत्ता 1500 कॉल की अधिकतम सीमा तक प्रतिमाह की स्वीकृति तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का निर्णय निम्नांकित शर्त्तों के अध्यधीन लिया गया हैः–

शर्त्त

(1) यह लाभ ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अनुमान्य होगा, जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश रह चुके हों। परन्तु मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश किसी अन्य उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार/संघ क्षेत्र से समान लाभ प्राप्त नहीं करते हों।

(2) यह लाभ ऐसे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को अनुमान्य नहीं होगा, जो किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार/संघ क्षेत्र में लाभ का पद धारण करते हों।

4. पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–3049 दिनांक 21.02.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाये।

5. इसमें विधि विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 9393 /पटना–15, दिनांक 5-7-16

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 9393 /पटना–15, दिनांक 5-7-16

प्रतिलिपि–सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–2–03/2008 सा0प्र0 9393 /पटना–15, दिनांक 5-7-16

प्रतिलिपि–श्री गोपाल सिंह, स्थायी समुपदेशक, बिहार, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

5.7.16